



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग हरिद्वार – 249404

संख्या: 365/01/डी0आर0(डिग्री)/सेवा-2/2021-22

दिनांक: 15 फरवरी, 2024

लघु विज्ञप्ति

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी (ENGLISH), असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र (ECONOMICS) एवं असिस्टेंट प्रोफेसर जन्तु विज्ञान (ZOOLOGY) विषयान्तर्गत साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों की संख्या निर्धारित पद के सापेक्ष 2 गुने से कम होने के कारण परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 के चतुर्थ संशोधन-2016 के नियम-05 में उल्लिखित प्राविधान के क्रम में पदों के सापेक्ष ए0पी0आई0 की मेरिट के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार अतिरिक्त अभ्यर्थियों को औपबन्धिक रूप से शार्टलिस्ट किया गया है। औपबन्धिक नवीन शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना/विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की गयी है। नवीन शार्टलिस्ट अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावों से संबंधित अभिलेख आयोग कार्यालय में दिनांक 01 मार्च, 2024 (शुक्रवार) तक उपलब्ध कराये जाने हैं। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त किसी भी अभिलेख पर विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (राजकीय महाविद्यालय) चयन-2021 के अन्तर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर अंग्रेजी (ENGLISH), असिस्टेंट प्रोफेसर अर्थशास्त्र (ECONOMICS) असिस्टेंट प्रोफेसर जन्तु विज्ञान (ZOOLOGY) एवं असिस्टेंट प्रोफेसर गृह विज्ञान (HOME SCIENCE) विषयान्तर्गत विज्ञप्ति क्रमशः दिनांक 01 नवम्बर 2023, दिनांक 09 नवम्बर 2023, दिनांक 01 नवम्बर 2023 एवं दिनांक 01 दिसम्बर, 2023 के क्रम में अनर्ह सूची, अभ्यर्थन निरस्त सूची एवं अधिमानी अर्हता विषयक सूची के संबंध में अभ्यर्थियों को प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने के लिए समय प्रदान किया गया था, जिसके सापेक्ष अभ्यर्थियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत किये जाने की अंतिम तिथि तक प्राप्त प्रत्यावेदनों का परीक्षण करते हुए प्रत्यावेदनों का निस्तारण मा0 आयोग द्वारा कर दिया गया है, जिसके क्रम में उक्त विषयों के अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों की सूची आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की गयी है।

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का अवलोकन अवश्य करें तथा अभ्यर्थियों को इस संबंध में डाक के माध्यम से पृथक से सूचना प्रदान नहीं की जायेगी।

—SD—

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।